मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित **Appeal No.-07/2022 (I.A. No. 50/ 2022 & I.A. No. 51/2022) Ghanai vs Environment Impact Assesment Authority (SEIAA) UP & Ors** में पारित आदेश दिनांक 21.09.22 के क्रम में संयुक्त निरीक्षण आख्या

जनपद–जालौन, तहसील–उरई के अन्तर्गत स्थान ग्राम–नन्धा के गाटा संख्या–3ग, खण्ड सं0–03, रकबा–8.502 हे0 21 एकड़ का बालू खनन पट्टा मेसर्स आर0एन0एस0 प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर श्री देवनाथ सिंह पुत्र श्री रामअवध सिंह निवासी–229 मुंशीपुर मऊनाथभंजन मऊ, उ0प्र0 के पक्ष में 2022 से 2027 तक के लिये स्वीकृत किया गया है।

श्री घनई पुत्र बिन्दे निवासी–1045, मु0 नारोघाट, कस्बा–कोटरा, जालौन, उ0प्र0 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Appeal No.-07/2022 (I.A. No. 50/2022 & I.A. No. 51/2022) Ghanai vs Environment Impact Assesment Authority (SEIAA) UP & Ors में दिनांक 21.09.2022 को आदेश पारित किया गया। पारित आदेश का प्रभावी अंश निम्न प्रकार है–

"One of the grounds of challenge to the environmental clearance is that the mining site is the habitat of crocodiles which is protected under Section 9 of Wild Life (Protection) Act, 1972. We consider it appropriate to seek a Factual Verification. Report in this regard from the Joint Committee comprising of representative of Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life), State of Uttar Pradesh and Chairman, Betwa River Board, State of Uttar Pradesh. The Joint Committee shall meet within three weeks, undertake site visits, associate the applicant and representative of the project proponent, verify the factual position as to whether area in question is habitat of the crocodiles or whether mining activities will be having adverse impacts on crocodiles or any other reptiles/wildlife's habitat, breeding etc."

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–1178/10–1, दिनांक 07.10.2022 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, झांसी को प्रश्नगत प्रकरण में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण एवं वांछित कार्यवाही किये जाने हेतु नामित किया गया। प्रश्नगत खनन पट्टा स्थल के संयुक्त निरीक्षण हेतु Chairman, Betwa River Board, State of Uttar Pradesh के प्रतिनिधि नामित किये जाने हेतु मुख्य अभियंता, बेतवा परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी को पत्र सं0–1033/10 केस (एन0जी0टी0), दिनांक 12.10.2022 भेजा गया एवं दिनांक 21.10.2022 की तिथि संयुक्त निरीक्षण हेतु प्रस्तावित की गयी। तत्क्रम में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0–एफ0नं0–आर0–24011/33/2022–पी0आर0, दिनांक 14.10.2022 से मुख्य अभियंता, बेतवा रिवर बोर्ड, नन्दनपुंरा, झांसी, उ0प्र0 को प्रतिनिधि नामित किया गया। मुख्य अभियंता, बेतवा नदी परिषद, झांसी के पत्र सं0–256 मु0अ0/बे0न0प0/वन विभाग, दिनांक 17.10.2022 के द्वारा प्रस्तावित निरीक्षण तिथि दिनांक 21.10.2022 के स्थान पर दिनांक 20.10.2022 किये जाने हेतु लिखा गया, तदानुसार दिनांक 20.10.2022 अपरान्ह 03:00 बजे का समय प्रश्नगत खनन पट्टा स्थल के संयुक्त निरीक्षण हेतु निश्चित किया गया।

प्रकरण में दिनांक 20.10.2022 अपरान्ह 03:00 बजे मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, झांसी प्रतिनिधि (Principal Chief Conservator of Forests, Wild Life, State of Uttar Pradesh), मुख्य अभियंता,

बेतवा नदी परिषद, झांसी प्रतिनिधि (Chairman, Betwa River Board, State of Uttar Pradesh), प्रभागीय वनाधिकारी उरई, जिला खनन अधिकारी उरई, श्री घनई पुत्र बिन्दे निवासी–1045, मु0 नारोघाट, कस्बा–कोटरा, जालौन, उ0प्र0 (शिकायतकर्ता), श्री आलोक सिंह, प्रतिनिधि मेसर्स आर0एन0एस0 प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर श्री देवनाथ सिंह पुत्र श्री रामअवध सिंह निवासी–229 मुंशीपुर मऊनाथभंजन मऊ, उ0प्र0 एवं राजस्व निरीक्षक आदि की उपस्थिति में प्रश्नगत खनन स्थल का निरीक्षण किया गया।

जिला खनन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत खनन पट्टा वर्ष 2022–23 में दिनांक 03.01.2022 से 02.01.2027 तक की अवधि के लिये स्वीकृत है परन्तु अभी तक खनन कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। इसके पूर्व यह खनन खण्ड/पट्टा दिनांक 21.11.2005 में स्वीकृत किया गया जोकि दिनांक 16.10.2006 में समर्पण कर दिया गया था।

प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में अपीलकर्ता श्री घनई पुत्र बिन्दे निवासी–1045, मु0 नारोघाट, कस्बा–कोटरा, जालौन, उ0प्र0 द्वारा मौके पर दिये गये अपने लिखित बयान में कहा है कि उन्होंने मा0 एन0जी0टी0 में कोई अपील दायर नहीं की है। श्री घनई द्वारा एक शपथ–पत्र दिनांक 15.10.2022 भी दिया है, जिसमें उन्होंने उक्त अपील योजित न किये जाने एवं अपील से कोई सरोकार न होने के बारे में लिखा है।

प्रश्नगत स्थल पर दिनांक 20.10.2022 को संयुक्त निरीक्षण के समय नदी एवं नदी के बाहर बालू क्षेत्र में मगरमच्छ व अन्य जलचरों आदि के पाये जाने के बारे में गहन निरीक्षण किया गया, परन्तु कहीं मगमच्छ नहीं दिखाई दिये। निरीक्षण के समय उपस्थित स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में बहुतायत में मगरा (मगरमच्छ का स्थानीय नाम) दिखाई देते हैं तथा अन्य जलचरों/सरीसृपों/अन्य वन्य जीवों के बारे में पूंछे जाने पर उन्होंने अनभिज्ञता व्यक्त की, साथ ही यह भी बताया कि अभी अपरान्ह है, ज्यादातर मगर प्रातःकाल में दिखाई देते हैं।

ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र में मगरमच्छ प्रातःकाल में पाये जाने की जानकारी दिये जाने की पुष्टि हेतु दिनांक 28.10.2022 को प्रातःकाल 07:00 से 09:00 बजे के मध्य पुनः पहुंचकर प्रश्नगत स्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया। नदी में, नदी के किनारों पर, बालू के क्षेत्र में पैदल एवं पानी में नाव द्वारा निरीक्षण के दौरान मगरमच्छ सीधे तौर पर कहीं नहीं दिखाई दिये परन्तु नदी के किनारे से बालू की तरफ एवं दोनों किनारों के बीच जमा बालू में मगरमच्छ के पद चिन्ह व सरकने–घिसटने के निशान स्पष्ट रूप से पाये गये, जिसके मौके पर फोटोग्राफ्स भी लिये गये। अतः इस आशय की पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र में मगरमच्छ पाये जाते हैं।

निष्कर्ष स्वरूप इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रश्नगत क्षेत्र में मगरमच्छ नहीं हैं। परन्तु इस क्षेत्र में मगरमच्छ का सघन प्राकृतवास (Natural Habitat) पाया जाना परिलक्षित नहीं होता है। मौके पर निरीक्षण के समय वर्तमान जारी खनन पट्टे के सापेक्ष खनन की गतिविधि नहीं पायी गयी।

R.P. Singh 31/10/22

(राजपाल सिंह)
मुख्य अभियन्ता
बेतवा नदी परिषद, झांसी

31.10.22

(के0के0सिंह)
मुख्य वन संरक्षक,
बुन्देलखण्ड जोन, झांसी